

प्र० सं० 81/18 अनवान इश्वर V/S लीलासिंह आदि  
अन्तर्गत धारा 212 RT Act

3-4-19

पत्रावली पेश हुई बार सघं का  
कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 5-4-19 को ... हो

~~...~~

5-4-19.

पत्रावली पेश हुई वकील वार्ड व पुरानी एवं  
उप० नहीं। धार-धार भावाज लुगते पत्रावली  
कोई उपलब्ध नहीं था। अतः पत्रावली  
मध्यम धारी मध्यम पेंसी में रखा  
की जाती है। पत्रावली नभार से इस  
धारा धारिण पत्रावली है।

~~...~~

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)